



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को 03 वारण्टी अभियुक्तगण 1.हिम्मत सिंह पुत्र पाल्ला 2.अजब सिंह पुत्र पाल्ला निवासीगण ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर संबंधित वाद सं0 6978/24 धारा 452/504 भा0द0वि0 चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा0न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सहारनपुर को ग्राम नसुल्लागढ से गिरफ्तार किया गया। तथा 3.शहनवाज पुत्र शहीद निवासी मौ0 मुंशीपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 379/10 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर निर्गत मा0न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर को इसके मकसद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. हिम्मत सिंह पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. अजब सिंह पुत्र पाल्ला निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. शहनवाज पुत्र शहीद निवासी मौ0 मुंशीपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 563 अमित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 2434 मनीष कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
7. का0 202 विवेक कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 25 मुकदमों में बरामद की गई करीब 430 लीटर अवैध शराब (कीमत करीब 1 लाख 85 हजार रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेश से विनष्टीकरण किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" व माल मुकदमाती माल निस्तारण के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोदय जनपद सहारनपुर के आदेश दिनांक 29.06.2024 के अनुपालन में नायब तहसीलदार श्री पंकज नरवाल तहसील सदर सहारनपुर की अध्यक्षता में तथा श्री मुनीश चन्द क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, श्री निशा गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी न्यायालय सदर सहारनपुर, श्री राजकमल सिंह आबकारी निरीक्षक एवं श्री चन्द्रसैन सैनी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को वर्ष 2021 व 2022 में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 25 अभियोगों में बरामद कुल 430 लीटर अवैध शराब जिसकी कीमत करीब 1 लाख 85 हजार को थाना कोतवाली देहात के पीछे खाली जमीन में जे0सी0बी से गहरा गड्ढा खुदवाकर समस्त माल को उसमें दबवाकर नष्ट किया गया।

नष्ट की गयी अवैध शराब का विवरण –

1. देशी शराब करीब 310 लीटर
2. कच्ची शराब 120 लीटर

अवैध शराब निस्तारण हेतु गठित टीम:-

1. श्री मुनीश चन्द क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय जिला सहारनपुर
2. श्री पंकज नरवाल नायब तहसीलदार तहसील सदर जिला सहारनपुर
3. श्री निशा गुप्ता सहायक अभियोजन अधिकारी सदर न्यायालय सहारनपुर
4. श्री चन्द्रसैन सैनी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
5. श्री राजकमल सिंह आबकारी निरीक्षक सहारनपुर
6. श्री मनोज कुमार व0उ0नि0 थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
7. श्री सुनील कुमार शर्मा व0उ0नि0 थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर
6. हैड मोहरीर 865 अमित पाल थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर



दिनांक: 15.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध रूप से नकली घी बनाने वाले 02 अभियुक्तों को नकली घी व बनाने के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम तथा वांछित / वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14/10/2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण (1) आकिब पुत्र गफफार नि0 ग्राम बल्लामजरा थाना गंगोह सहारनपुर एवं (2) राकिब पुत्र गफफार नि0 ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह सहारनपुर को आकिब पुत्र गफफार के मस्कन ग्राम बल्ला माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से नकली देशी घी तथा बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 164 किलोग्राम दूध क्रीम मय 48 किलोग्राम, अपमिश्रित देशी घी मय 34 किलोग्राम, वनस्पति घी 30 किलोग्राम, सोयाबीन रिफाइण्ड तेल, 06 किलोग्राम स्किमड मिल्क पाउडर, एक इलैक्ट्रिक कांटा, 150 ग्राम रबर के छल्ले 07 पैकेट पोलीथीन पैकिंग, एक गैस सिलिण्डर मय चूला मय रेगुलेटर, एक ड्रिल मशीन मय लोहा रई, बनाने के उपकरण व 19 टीन कन्स्तर बरामद किया गया। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 461/24 धारा 274/275/318(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम हम दोनो अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर यहा नकली देशी घी बनाने का काम करते हैं तथा इस बने हुए देशी घी को गांव देहात की दुकानों पर बेच देते हैं और अपना खर्चा चला लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

आकिब पुत्र गफफार नि0 ग्राम बल्लामजरा थाना गंगोह सहारनपुर
राकिब पुत्र गफफार नि0 ग्राम बल्लामाजरा थाना गंगोह सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 164 किलोग्राम दूध क्रीम मय 48 किलोग्राम
- अपमिश्रित देशी घी 34 किलोग्राम
- वनस्पति घी 30 किलोग्राम
- सोयाबीन रिफाइण्ड तेल
- 06 किलोग्राम स्किमड मिल्क पाउडर
- 01 इलैक्ट्रिक कांटा
- 150 ग्राम रबर के छल्ले 07 पैकेट पोलीथीन पैकिंग
- अवैध घी बनाने के उपकरण (01 गैस सिलेण्डर मय चूला मय रेगुलेटर, 01 ड्रिल मशीन मय लोहा रई, बनाने के उपकरण व 19 टीन कन्स्तर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 कृष्ण कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. है0कां0 579 शेखर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. कां0 336 आमीन थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. कां0 326 रिकू राणा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. कां0 1929 जव्वाद थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक: 15.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा गौकशी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.04.2024 को वादी का0 2428 अजय कुमार द्वारा रायपुर पीर नदी के पास बरामद गौवंशीय खाल की फर्द बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0-70/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वारंटी/वांछित/गौकशी के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **फरमान उर्फ बदलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को रायपुर नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान उर्फ बदलू पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 35/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
2. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1365 मंजीत थाना मिर्जापुर सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 13.10.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अनस पुत्र इकराम निवासी ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने, अश्लील हरकते करने व जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 173/24 धारा 74/75(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए, वांछित **अभियुक्त अनस पुत्र इकराम निवासी ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को ग्राम बेगपुर नौगावा के बाहर पक्के रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनस पुत्र इकराम निवासी ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. म0उ0नि0 श्री रश्मि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 214 उदित थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 15.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 09 मोबाइल फोन बरामदा

अवगत कराना है कि दिनांक 01/09/2024 को वादी श्री दीपक कपिल पुत्र श्री ब्रज भूषण शर्मा निवासी ग्राम उमरपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा डी0पी0 कैफे एण्ड रेस्टोरेण्ट गंगोह से लैपटाप व मोबाइल फोन चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-386/24 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा उक्त घटना का अनावरण करते हुए थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कन्हैया पुत्र मांगेराम निवासी मौहल्ला छत्ता पदम सिनेमा के पीछे कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को पूर्व में दिनांक 02/09/2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जिसके कब्जे से लैपटाप तथा मोबाइल बरामद किये जा चुके हैं तथा एक अन्य अभियुक्त हिमांशु उर्फ भीम पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 छत्ता पदम सिनेमा के पीछे थाना गंगोह जनपद सहारनपुर लगातार वांछित चल रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **हिमांशु उर्फ भीम पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 छत्ता पदम सिनेमा के पीछे थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर विद्यार्थी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के 09 मोबाइल बरामद हुए। जिसके विरुद्ध अलग से थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-462/24 धारा 317(5) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने व मेरे साथी कन्हैया ने दिनांक 01/09/2024 को प्रभा गार्डन के पास बने रेस्टोरेण्ट से लैपटाप व मोबाइल चोरी किया था। जिनको पुलिस ने पहले ही मेरे साथी कन्हैया से बरामद कर लिये थे। मैं चोरी करके मोबाइलो को राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ और अपना खर्चा चलाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हिमांशु उर्फ भीम पुत्र राजकुमार निवासी मौ0 छत्ता पदम सिनेमा के पीछे थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 09 मोबाइल फोन (चोरी किए हुए)

अभियुक्त हिमांशु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 81/15 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-176/23 धारा 392/411 भा.द.वि चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 512/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना गंगोह सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 740/18 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह सहारनपुर

5. मु0अ0सं0- 306/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम चालानी थाना गंगोह सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 267/13 धारा 380/457 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 75/2014 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 386/24 धारा 305(ए) बी0एन0एस चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 462/24 धारा 317(5) बी0एन0एस0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 राधा चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. कां0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारन्टी/एनबीडब्लू श्याम कुमार पुत्र बलजीत निवासी ग्राम फतेहपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित परिवाद स0- 1719/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट CR N0- 76/96 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर, मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

श्याम कुमार पुत्र बलजीत निवासी ग्राम फतेहपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 इन्द्रेण चौहान थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- का0 243 रोहित कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.10.2024 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा NBW वारण्टी अभियुक्त **बबलू कुमार पुत्र अमी चन्द हरीजन निवासी मोजमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर**, हाल निवाली काशीराम कालोनी पेपर मिल रोड थाना को0 देहात स0पुर सम्बन्धित मु0अ0स0- 005/1996 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट चालानी थाना को0 नगर सहारनपुर के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बबलू कुमार पुत्र अमी चन्द हरीजन निवासी मोजमपुरा थाना जनकपुरी स0पुर, हाल निवाली काशीराम कालोनी पेपर मिल रोड थाना को0 देहात स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 यशपाल सोम थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 976 रविन्द्र थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. का0 2552 विकास थाना जनकपुरी सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा डकैती के मामले में अभियुक्त को 06 वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.07.2018 को वादी फुरकान राणा पुत्र अब्दुल कलाम नि० मौ० सडकपार थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की सर्राफा की दुकान में घुसकर पैसे व सामान चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना चिलकाना पर मु०अ०स०-273/18 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र अकलदीन नि० छोटीपठेड थाना चिलकाना सहारनपुर 2. रोमीन पुत्र जुगनू नि० आलमपुर थाना गंगोह सहारनपुर 3. सलमान उर्फ मगरा पुत्र अलीहसन नि० पठेड थाना चिलकाना 4. साजन उर्फ सागर पुत्र नामालूम 5. सन्नी पुत्र पुत्र सीमा बंगाली नि० ग्राम पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त की धारा 395, 412 भादवि में तरमीम किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 1904/2022 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-08 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 15.10.2024 को **सन्नी पुत्र सीमा बंगाली को मु०अ०स०-273/18 धारा 395,412 भादवि में जुर्म इकबाल के आधार पर 06 वर्ष का कारावास व 40 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट - 1.शहजाद पुत्र अकलदीन नि० छोटीपठेड थाना चिलकाना स०पुर 2.रोमीन पुत्र जुगनू नि० आलमपुर थाना गंगोह स०पुर 3.सलमान उर्फ मगरा पुत्र अलीहसन नि० पठेड थाना 4.साजन उर्फ सागर पुत्र नामालूम की वाद अभी भी माननीय न्यायालय में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री विक्रम वर्मा
विवेचक उनि० गजेन्द्र सिंह उज्जवल
पैरोकार है०का०-1137 राहुल कुमार थाना चिलकाना

